


17.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की बेंच संख्या दो के समक्ष लिखित में राजीनामा पेश कर व्यक्त किया कि प्रार्थी का उक्त विवादित पट्टा इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मकान का नया पट्टा दोनों के रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए तथा प्रार्थी का निर्मित मकान का हिस्सा छोड़कर अप्रार्थी को नया पट्टा जारी किया जाता है तो प्रार्थी व अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र जरिए लोक अदालत की बेंच संख्या दो के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 2592 दिनांक 04.08.2002 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत नितौडा को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर मौके एवं रेकॉर्ड की जांच कर नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही संपादित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

